FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...न्त उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराईं (अजमेर)

...रतनाथ पुत्र श्री जोधानाथ जाति नाथ निवारी ग्राम दोथली तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै.

प्रार्थी

बनाम

...ज्य सरकार जरिये तहसीलदार अराईं वगै.

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा–88,188, 136 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 382 /2020

ऑनलाइन नंबर 2020/003777

वकील प्रार्थीगण भागचन्द भाटी

वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.08.2020	यह वाद वादीगण की ओर से वकील श्री भागचन्द भाटी ने अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
18.09.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त जो शामिल मिसल। P.O साहब पंचायत समिति पर आयोजित कैम्प में व्यस्त। वास्ते जवाब इन्तजार सरकार पैरोकार पत्रावली दिनांक 25.09.2020 को पेश हो। Nand...	
25.09.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित। P.O. साहब पंचायत समिति पर आयोजित कैम्प में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 27/11/2020 को पेश हो। Nand...	
27.11.2020	पत्रावली श्रीमान कलेक्टर साहब अजमेर के द्वारा पुष्कर मेले के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने के कारण नियमित सुनवाई हेतु दिनांक 13.01.2021 को पेश हो। Nand...	

5/25	पत्रावली पेश हुई। समय ....[illegible]........ की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/6/25 को पेश हो।	
6/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 25/7/25 को पेश हो।	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 22/8/25 को पेश हो।	
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ......बहस हेतु [illegible]...... पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
17/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ....बहस हेतु [illegible].... .... पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
21/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. । बहस एवं [illegible] पत्रावली दिनांक 5/12/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
5/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. बहस एवं [illegible]...... .... पत्रावली दिनांक 19/12/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	TD [illegible]
19/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. बहस सुनी गई। [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] [illegible] स्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, अंराई

राजस्व वाद संख्या. 382/ 2020 जिला अजमेर

1- नौरतनाथ पुत्र श्री जोधानाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम दोथली, तहसील अराई जिला अजमेर।

2- घुमरीदेवी पत्नि स्व० श्री जोधानाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम दोथली, तहसील अंराई जिला अजमेर।

(फौत)

2/1 शांति पुत्री स्व0 जोधानाथ

2/2 सम्पति पुत्री स्व0 जोधानाथ

2/3 श्रवणी पुत्री स्व0 जोधानाथ

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अंराई जिला

निर्णय अन्तर्गत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

वकील वादी श्री भागचन्द भाटी

प्रतिवादी– पेरोकार सरकार.

दिनांक . 19/12/25

वादी की ओर से वकील श्री भागचन्द भाटी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम दोथली पटवार हल्का गुजरवाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोडियास तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विवरण जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के अनुसार निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या नया	पुराना	आधार ख.स.	रकबा	किस्म
95	90	5	10–12–0 1–10–0	पडत बारानी बा. डोल
		6	3–0–0	गै.मु.पाल
		7	49–10–0 3–13–0 3–6–0 0–11–0 42–0–0	 बरानी 2 प.बारानी गै.मु.पाल गै.मु.छापर

उपरोक्त वर्णित आराजीयात सम्वत सम्वत 2006 में श्री भंवर सिंह राजपूत के नाम जागीरदारी के समय दर्ज थी उक्त आराजीयात पर काश्त जोधानाथ वल्द गोपीनाथ के द्वारा की जाती थी एवं वर्तमान में जोधानाथ वल्द गोपीनाथ के फौत होने के पश्चात विधिक वारिसान वादी पुत्र नौरतनाथ एवं उनकी पत्नि घुमरी के द्वारा वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात पर काश्त की जा रही है। बिना किसी कारणवश ना ही किसी प्रकार का विधिक नोटिस दिये या विधिक सूचना दिये बगैर उपरोक्त आराजीयात को वर्तमान जमाबन्दी में दौराने सेटलमेन्ट राज्य सरकार द्वारा चारागाह भूमि दर्ज कर दी है जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर विवादित भूमि से सम्बंधित रिकार्ड आदि तहसील से निकलवा कर पटवारी महोदय से सम्पर्क किया गया तो पटवारी महोदय ने बताया कि आपके द्वारा काश्त की जा रही भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है जिसकी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आपको सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। उक्त निर्देशानुसार वादीगण द्वारा निम्न ठोस आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष खातेदारी उदघोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है विवादित आराजीयात पर वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज सम्वत 2006 से काबिज काश्त चलें आ रहे हैं एवं लगभग 70 वर्षों से वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त हैं जिस कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी

अधिकारी हैं जिस हेतु उक्त वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजीयात पर वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज सम्वत 2006 से काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं लगभग 70 वर्षों से वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठि की आड में राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने तथा अन्यत्र आवंटन एवं नियमन करने पर सख्त आमादा है जिसमे यदि वे सफल हो गये तो वादीगण अपनी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगे जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रतिवादी एवं उनके अधिकारी एवं कर्मचारीगण को को उपरोक्त वर्णित कृत्य कारित करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना वांछित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते जारी फरमाने स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सेवा मे प्रस्तुत है। वादीगण एवं उनके पूर्वज निरन्तर राज्य सरकार द्वारा तय निर्धारित लगान भी समय–समय पर राजकोष में जमा करवाते आ रहे हैं जिसकी रसीदें वादीगण के द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इस कारण भी वादीगण खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ग्रामीण एवं अनपढ़ व कानूनी पेचीदगियों से अनभिज्ञ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपने नाम विवादित आराजीयात का इन्द्राज नहीं करवा सके जिस हेतु भी यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।वाद कारण सर्वप्रथम वादीगण का नाम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं करने तत्पश्चात दिनांक 8-8-2020 को जब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर चारागाह दर्ज है जिससे वादीगण को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर आज दिनांक लगातार जारी है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी, काश्तकारी की आराजीयात का वादीगण को बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं इस अमर की उदघोषणा खातेदारी/इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी करने का निवेदन किया गया है ।

वादी का वाद दिनांक 25.8.2020 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी करवाई गई। दिनांक 11.12.2025 को पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम दोथली के खाता संख्या 95 की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं0 5 ,6,7 किस्म चरागाह भूमि हिस्सा पूर्ण गोचर भूमि होना अंकित है । जो कि सरकारी भूमि होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों एवं परिपत्रों के द्वारा राजकीय भूमि पर केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिविरूद्ध माना गया है। (परम सुख बनाम स्टेट 1978 आर.आर. डी. 482) (राज. सरकार बनाम गिरधारीलाल 1988 आर.आर. डी. 78) (राज. सरकार बनाम धरमा 1988 आर.आर. डी. 364)(रामसिंह बनाम रतिराम 1996 आर.आर.डी. 389 पेज संख्या 391)। अतः उक्त वाद को खारिज किया जाता है ।

वाद में प्रस्तुत साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी तथा वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, अंराई

राजस्व वाद संख्या. 382/ 2020 जिला अजमेर

1- नौरतनाथ पुत्र श्री जोधानाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम दोथली, तहसील अराई जिला अजमेर।

2- घुमरीदेवी पत्नि स्व० श्री जोधानाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम दोथली, तहसील अंराई जिला अजमेर।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अंराई जिला

निर्णय अन्तर्गत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

वकील वादी श्री भागचन्द भाटी

प्रतिवादी– पेरोकार सरकार

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 19/12/25 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी, बहस वकील उभयपक्ष एवं वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/12/25 को जारी की गई।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई अजमेर